न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

दायर दिनांक –5.2.2018

प्रकरण संख्या – 8/2018 (राजस्व वाद)

निर्णय दिनांक – 16.1.2019

अनवान

1–लक्ष्मण पिता हुका ननोमा जाति भील निवासी फला खुमानपुरा बरबोदनिया

(वादी)

बनाम

1– श्रीमती रेखा देवी पत्नि प्रकाश व्यास ब्रा0 निवासी गामठवाडा सागवाडा

2– श्रीमती मनीषा पत्नि शैलेष पंण्ड्या ब्रा0 निवासी गामठवाडा सागवाडा

3– श्रीमान भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री फिरोज खॉ

वकील प्रतिवादीगण– श्री सी.पी.गॉधी

वाद अन्तर्गत धारा 188 ,251 ए सपठित धारा 209 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी अनुसूचित जनजाति का एंव प्रतिवादी नं0 1 व 2 सवर्ण जाति के है। यह कि वादी के स्वामित्व एवं कब्जेदारी की मौजा जेठाना पटवार हल्का जेठाना के सं0 2073–76 के खाता संख्या नया 1213 व पुराना 561 के खसरा संख्या 1420 रकबा 0.01बिस्वा बीड , खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.05बिस्वा कुल रकबा 0.06 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिस पर वादी का ही कब्जा है ।उक्त आराजीयात के समीप प्रतिवादीगण 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी का खाता संख्या 1213 नया व 289 पुराना के खसरा नम्बर 1417 रकबा

Scanned by CamScanner

0.04बिस्वा आबादी ,खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.13बिस्वा आवादी एवं खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.02बिस्वा कुल रकबा 0.19बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है ।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि के पास खसरा नम्बर 1669 चरागाह भूमि है जिसका रकबा 1.06 बिघा है जिसमें से 30 फीट भूमि को वादी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग करता आ रहा है । वादी की भूमि के पूर्व में प्रतिवादीगण 1 व 2के खेत है। यह कि वादी के खेतों के पूर्व में स्थित रास्ते से वादी को कृषि हेतु हल बेलगाडी फसलों की जूताई हेतु ट्रैक्टर आदि ले जाने पड़ते है । वादी के खेतों में आने जाने हेतु वादी का उक्त एकमात्र रास्ता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उनके उक्त आराजीयात के अतिरिक्त भूमि खसरा नम्र पर अतिक्रमण करने की गरज से 1669 चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लगभग 30 फीट लम्बाई एवं 2.5 फीट उॅची पत्थरों की बाउण्डरी बनाने की असफल कोशिश कर रहे है जिसे वादी ने बडी मुश्किल से रोका है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के उक्त खसरो की पूर्व तरफ पत्थर की बाउण्ड्रीवाल बनाकर वादी के एकमात्र रास्ते को रोककर बाधा उत्पन्न कर रहे है ।

वादी ने वाद के अन्त में मोजा जेठाना के खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.01 बिस्वा एवं 1421 रकबा 0.05 बिस्वा कुल 0.06 बिस्वा के पूर्वी तरफ चरागाह खसरा नम्बर 1669 रकबा 1 बीघा 06बिस्वा के रास्ते जिससे कृषि कार्य हल बैलगाडी ट्रैक्टर अनाज फसल लाने एवं ले जाने वाले 30. फीट चौडे रास्ते पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें ।

वादी द्वारा वाद के साथ जमाबन्दी की नकल खसरा 1420,1421 ,1417,1418,1419 ,नक्षा ट्रैस , एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 25.1.16,6.1.16 की प्रति प्रस्तुत की है ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर जवाब हेतु तलब किया गया । वाद के साथ वादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आरटीए 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसमें आगामी सुनवाई तक अप्रार्थी 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया है।

Scanned by CamScanner

दौराने कार्यवाही वाद पत्र में वकील वादी की ओर से सीमांकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने अवसर की स्टेज पर है।

वकील वादी की ओर से आज वक्त सुनवाई पुनः सीमांकन कार्यवाही हेतु निवेदन किया जाने पर पत्रावली एंव प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन किया गया ।

वादी की ओर से वाद चरागाह भूमि पर अतिक्रमण एवं सीमा विवाद से सम्बन्धित है । चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही के लिए तहसीलदार स्वयं सक्षम है । यदि वादी अपनी भूमि की सीमा जानकारी कराना चाहता है तो भी तहसीलदार के कार्यालय में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि दोनो पक्षों के रूबरू स्वयं मौका निरीक्षण कर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करें एवं वादी द्धारा आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सीमा जानकारी करावें ।

तहसीलदार सागवाडा को उपरोक्तानुसार आदेश जारी किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

क्रमांक/एसडीओ/कोर्ट/2019/ 109 5/2/19 दिनांक–

तहसीलदार,
सागवाडा

विषय :– न्यायालय प्रकरण संख्या 8/2018 राजस्व वाद में पारित निर्णय दिनांक 16.1.2019 के सम्बन्ध में ।

अनवान

1–लक्ष्मण पिता हुका ननोमा जाति भील निवासी फला खुमानपुरा बरबोदनिया

(वादी)

बनाम

1– श्रीमती रेखा देवी पत्नि प्रकाश व्यास ब्रा0 निवासी गामठवाडा सागवाडा
2– श्रीमती मनीषा पत्नि शैलेष पण्ड्या ब्रा0 निवासी गामठवाडा सागवाडा
3– श्रीमान भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनवान के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.1.2019 की प्रति संलग्न कर भेंजी जा रही है ।

अतः निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

संलग्न –निर्णय प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner